

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-जी0/बी0डी0-8-20(गर्दनीबाग/पुर्नविकास)-27/2018..... पटना, दिनांक- 23/5/25

'कार्यालय आदेश'

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारी को नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास आवंटित किया जाता है:-

क्र0	नाम/पदनाम	विभाग	आवंटित आवास संख्या
1.	श्री रवि कुमार सुमन, कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय)	पथ निर्माण विभाग	R/4, A to Z, सेट पुनाईचक, पटना (पूर्व में आवंटित आवास सं0-65/84, 84 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट के बदले)

- सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-14469/2023, दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसायटी लिमिटेड, पटना बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-12.05.2025 को पारित आदेश के आलोक में दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसायटी लिमिटेड, पटना को विभागीय कार्यालय आदेश सं0-47, दिनांक-23.05.2025 द्वारा आवास सं0-65/84, 84 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट (तथा 3 अन्य फ्लैट) आवंटित किया गया है। आवंटित पदाधिकारी तीन दिनों के अंदर आवंटित आवास का प्रभार लेकर आवास सं0-65/84 रिक्त कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।
- स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार आवास किराया/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्यवाई की जाएगी।
- सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-जी0/बी0डी0-8-20(गर्दनीबाग/पुर्नविकास)-27/2018 4617(गि) पटना, दिनांक:- 23/5/25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/श्री रवि कुमार सुमन, कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय), आवास सं0-65/84, 84 सेट, न्यू पुनाईचक/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल, पटना/कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई. सी./प्रशाखा पदाधिकारी, भू-सम्पदा प्रशाखा/आई.टी.मैनेजर एवं ई-निवास कोषांग, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।